वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

विद्या परिषद की 66 वीं बैठक

19 दिसम्बर, 2022

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 66 वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 अपरान्ह 12:30 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित गांधी भवन में माननीय कुलपति महोदय, डॉ. कैलाश सोडाणी की अध्यक्षता में (ऑफलाईन/ऑनलाईन) आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	डॉ0 कैलाश सोडाणी कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	अध्यक्ष
2.	प्रो. मनरूप सिंह मीणा सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
3.	प्रो0 अशोक शर्मा, आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुवि	सदस्य
4.	प्रो0 बी0 अरूण कुमार निदेशक (अकादमिक) एवं आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुवि	सदस्य
5.	डा0 सुबोध कुमार, सह आचार्य, पत्रकारिता वमखुविवि,कोटा	सदस्य
6.	डा0 अनिल कुमार जैन सह आचार्य, शिक्षा, वमखुवि	सदस्य
7.	डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,कोटा	सदस्य
8.	डॉ0 रश्मि बोहरा, निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि, उदयपुर	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)

9. डॉ0 श्रीमती क्षमता चौधरी, सहा0 आचार्य, अंग्रेजी, वमखुविवि,कोटा	सदस्य
10. डॉ0 अनुरोध गोधा,, सहा0 आचार्य, वाणिज्य, वमखुविवि,कोटा	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
11. डॉ0 आलोक चौहान, सहा0 आचार्य, भूगोल, वमखुविवि,कोटा	सदस्य
12. डॉ0 अकबर अली, सहा0 आचार्य, लोक प्रशासन, वमखुविवि	सदस्य
13. डॉ0 संदीप हुड्डा, सहा0 आचार्य, वनस्पति शास्त्र वमखुविवि,कोटा	सदस्य
14. डॉ0 सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सहा0 आचार्य, अर्थशास्त्र वमखुविवि,कोटा	सदस्य
15. डॉ0 रवि गुप्ता, सहा0 आचार्य, गणित वमखुविवि,कोटा	सदस्य
16. श्री सुशील राजपुरोहित, सहा0 आचार्य, भौतिक विज्ञान वमखुविवि,कोटा	सदस्य
17. डॉ0 कपिल गौतम, सहा0 आचार्य, संस्कृत वमखुविवि,कोटा	सदस्य
18. श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचाय, कम्प्यूटर साइंस, वमखुविवि,कोटा	सदस्य
19. परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
20. श्री महेश चंद मीना नियंत्रक (वित्त)	विशेष आमंत्रित
21. श्री के.के गोयल कुलसचिव	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव ने बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष एवं माननीय कुलपति महोदय से बैठक प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त कर बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

66/01 विद्या परिषद की 64वीं बैठक दिनांक 07 अप्रेल 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।

(अ) विद्या परिषद की 64वीं बैठक दिनांक 07 अप्रेल 2022 कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 64/1 के संदर्भ में श्री सुशील राजपुरोहित द्वारा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र की योग्यता के संबंध में जानकारी चाहने पर अवगत कराया गया कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र की योग्यता यू.जी.सी द्वारा सह–आचार्य के पद लिए निर्धारित योग्यता लागू होगी एवं यू.जी.सी द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तन स्वतः लागू होंगे।

(ब) प्रो. बी. अरूण कुमार, निदेशक, अकादमिक ने बिन्दु संख्या 64/5 की ओर ध्यानाकर्षण कर अवगत कराया कि आर.एस.सी.आई.टी प्रमाण पत्र कार्यक्रम की पाठ्य–सामग्री में संशोधन का प्रस्ताव आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार आर.एस.सी.आई.टी प्रमाण पत्र कार्यक्रम की पाठ्य–सामग्री में संशोधन के प्रस्ताव को आज अनुमोदित किया।

(स) साथ ही प्रस्ताव संख्या 64/07 में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के साथ हुए एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में निर्णय की भी पुष्टि की गई।

(द) विद्या परिषद की 64वीं बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्यगणों को दिनांक 27 अप्रेल 2022 को प्रेषित कर दस दिवस में टिप्पणी मांगी गई थी, लेकिन किसी सदस्य की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अतः कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : कुलसचिव एवं निदेशक (अकादमिक)

66/02 विद्या परिषद की 65वीं बैठक (आपात) निर्णय की पालना में की गई अनुपालना कार्यवाही की सूचना।

विद्या परिषद की 65वीं बैठक (आपात बैठक) छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के अंको के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर निर्णय के लिए बुलाई गई थी, बैठक के कार्यवाही विवरण को बैठक के तुरंत बाद अनुमोदित कर दिया गया । 65वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को दिनांक 18.10.22 को आयोजित प्रबंध मंडल की आपात बैठक द्वारा भी अनुमोदित किए जाने के बाद निर्णयानुसार अनुपालना कर दी गई है।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/03 शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु गठित की जाने वाली चयन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन।

(अ) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु निर्धारित मानदण्डों को आधार बनाकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा शिक्षकों को CAS अंतर्गत पदोन्नति एवं शिक्षकों के नवीन भर्ती के लिए विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा निर्देशित मानदण्डों (कार्यालय आदेश क्रमांक वमखुवि/संयोवि अमा/ 2022/1211, दिनांक 08.12.2022) की विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।

(ब) सदन द्वारा निम्न विषयों में विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया गया।

01	शिक्षा	09	संस्कृत
02	गणित	10	अर्थशास्त्र
03	कम्प्यूटर विज्ञान	11	अंग्रेजी
04	भूगोल	12	फिजिक्स
05	वाणिज्य एवं प्रबंध	13	बॉटनी
06	लोक प्रशासन	14	हिन्दी
07	जूलोजी	15	प्रबंध
08	पत्रकारिता	16	विधि

कार्यवाही प्रभारी : कुलसचिव

66/04 पाठ्यक्रम अद्यतन समितियों सम्बन्धी प्रस्ताव।

(अ) समिति का नाम पाठ्यक्रम संशोधन/अद्यतनीकरण समिति (Course Revision/ Updation Committee) करने का निर्णय किया गया।

(ब) निम्न विषयों में पाठ्यक्रम अद्यतन समितियों का अनुमोदन किया गया।

1. पत्रकारिता विषय संबंधी स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।
2. गणित विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
3. संस्कृत विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
4. अर्थशास्त्र विषय सम्बन्धी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
5. शिक्षा विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
6. मनोविज्ञान विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
7. अंग्रेजी विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
8. लोक प्रशासन विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
9. राजनीति विज्ञान विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
10. गांधी शांति अध्ययन विषय सम्बन्धी स्नातक पाठ्यक्रम।
11. वनस्पति शास्त्र विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
12. प्राणि शास्त्र विषय सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
13. कम्प्यूटर विज्ञान सम्बन्धी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

14. वाणिज्य सम्बन्धी स्नातक पाठ्यक्रम।

15. भौतिक शास्त्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

16. भूगोल में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

उक्त विषयों/कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य विषयों/कार्यक्रमों के पाठयकमों के लिए पाठ्यक्रम संशोधन/अद्यतनीकरण समिति को गठित करने की आवश्यकता पडने पर वांछित कार्यवाही पूर्ण करने के लिए सदन ने माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

कार्यवाही प्रभारी : निदेशक (अकादमिक) एवं संबंधित विषय संयोजक

66/05 विद्यार्थी के लिंग परिवर्तन के कारण विद्यार्थी को नयी अंकतालिका व उपाधि/डिप्लोमा/ प्रमाण जारी किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/06 नवीन अध्ययन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव।

(अ) नवीन अध्ययन केन्द्र खोले जाने बाबत् आदेश क्रमांक एफ/वमखुवि/क्षेसेप्र/अध्ययन केन्द्र/2022/543 दिनांक 16.05.2022 की पुष्टि की गई।

(ब) सदन का अभिमत था कि सामान्यतः अध्ययन केन्द्र खोलने का निर्णय विद्या परिषद की स्वीकृति के बाद ही लिया जाए। साथ ही विशेष परिस्थिति में नया अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु माननीय कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर विद्या परिषद में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(स) सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे अध्ययन केन्द्रों को बंद करने के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र के निदेशक समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें प्रभाग को प्रस्तुत करेंगे।

कार्यवाही प्रभारी : निदेशक (क्षेत्रीय सेवायें प्रभाग) एवं निदेशक ,संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र

66/07 शोध को प्रोन्नत करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार संकाय सदस्यों को (प्रत्येक को) रू0 50000/-(रू0 पचास हजार रूपये) एवं पीएच.डी. हेतु पंजिकृत चार विद्यार्थियों को (प्रत्येक को) रू0 20000/-(रू. बीस हजार मात्र) (एक रिसर्च प्राजेक्ट के लिए एक बार) दिए जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही भविष्य में आवश्यकतानुसार संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों की संख्या एवं राशि में बढ़ोतरी करने का भी अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : निदेशक (शोध प्रकोष्ठ)

66/08 शोध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना 07.11.2022 को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना 07.11.2022 के बिन्दु संख्या 6 (5) " faculty member------------------------age of 70 years के अलावा अधिनियम के समस्त बिन्दुओं को विश्वविद्यालय में लागू करने का अनुमोदन किया गया एवं विश्वविद्यालय के शोध ऑर्डिनेन्स में तदनुसार संशोधन करने का निर्णय किया गया।

इस अधिसूचना के अनुसरण में पीएच.डी. में प्रवेश हेतु निम्न व्यवस्था का भी अनुमोदन किया गया।

(अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 07.11.2022 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।

(ब) प्रवेश की उपर्युक्त व्यवस्था (अ) लागू करने के पश्चात भी पीएच.डी. की सीटें रिक्त रहती हैं तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर प्रवेश देगा।

कार्यवाही प्रभारी : निदेशक (शोध प्रकोष्ठ)

66/09 विश्वविद्यालय में यू0जी0सी0 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार **Dual Degree** की व्यवस्था को संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करने बाबत् प्रस्ताव।

प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हुए उसके क्रियान्वयन के लिए एक समिति गठन करने हेतु सदन द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : निदेशक, अकादमिक

66/10 विद्या परिषद की 65वीं बैठक के निर्णयानुसार आंतरिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सुझाव देने बाबत् गठित समिति का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

(अ) जनवरी 2022 एवं जुलाई 2022 में प्रवेशित विद्यार्थियों को आन्तरिक मूल्यांकन प्रश्न पत्रों को अविलम्ब पूर्व की भांति Student One View में उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।

(ब) यू.जी.सी डेब रेगुलेशन 2020 के सलंग्नक –8 (II) (3) बिन्दु संख्या के अनुसार हल किये गये आंतरिक मूल्यांकन को जमा करवाने एवं उनके मूल्यांकन का कार्य अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से किऐ जाने का निर्णय लिया गया।

(स) उक्त (अ) एवं (ब) में वर्णित व्यवस्था जुलाई, 2022 के बाद प्रवेशित विद्यार्थियों पर भी आगामी व्यवस्था होने तक लागू होगी।

(द) यू.जी.सी एवं राज भवन द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन में ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए एवं छात्रों की सुविधा को देखते हुए भविष्य में आंतरिक मूल्यांकन को ऑनलाईन जमा एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई ।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/11 विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की उपाधियों/डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों को नेशनल एकादमिक डिपोजिटरी (NAD) पर अपलोड करने के लिए तैयार किए गऐ टैम्पलेट्स के प्रारूप का अनुमोदन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों/डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली उपाधियों की भांति नवीनतम बनाए जाने का प्रस्तावः–

(अ) टैम्पलेट्स के प्रारूप के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों/डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्रों को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति नवीनतम बनाने के लिए एक समिति का गठन करने हतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/12 लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेशित विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में ग्रेस अंक प्रदान करने बाबत् प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/13 स्नातक स्तरीय अनिवार्य प्रश्न पत्रों जिनकी परीक्षा ओएमआर आधारित होती है उनमें पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव।

(अ) प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(ब) स्नातक कायक्रमों में अनिवार्य प्रश्न पत्रों में आंतरिक गृहकार्य की व्यवस्था बंद करने तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंक का करने का निर्णय किया गया। यह व्यवस्था प्रवेश सत्र जनवरी, 2023 से लागू होगी।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/14 सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन हेतु वर्तमान में 25 प्रतिशत प्रश्नपत्रों में पुनर्मूल्यांकन करवाने की व्यवस्था के स्थान पर 50 प्रतिशत किये जाने बाबत् प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/15 15वें दीक्षान्त समारोह हेतु ग्रेस पास का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

66/16 टेबल एजेण्डा : परीक्षा विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 21639 दिनांक 15.12.2020 के बिन्दु A का 2 एवं बिन्दु F का 2 के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदनों के क्रम में बिन्दुओं को स्पष्ट किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं उक्त कार्यालय आदेश के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कोविड 19 के बाद आयोजित परीक्षा में पूर्व परीक्षा के अंको के आधार पर अंक देने की व्यवस्था नियमित विद्यार्थियों के लिए ही थी न की डिफाल्टर विद्यार्थियों के लिए।

उक्त निर्णयानुसार केवल नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ही स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध)/स्नातक स्तर में द्वितीय वर्ष परीक्षा के आधार पर अनुपातित अंक प्राप्त करने के योग्य होंगे।

कार्यवाही प्रभारी : परीक्षा नियंत्रक

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

20/12/22

कुलसचिव

सदस्य सचिव, विद्या परिषद